संख्या- 50/2017/सा0-856/सात-न्याय-1-2017-1(प्र)/2017

प्रेषक,

डा0 राजेश सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान,
विनीत खण्ड, गोमती नगर,
उ0प्र0 लखनऊ।

न्याय अनुभाग-1 (उच्च न्यायालय) लखनऊ: दिनांक - 28 जून, 2017

विषय: 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ में न्यायिक सुधार हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संविदा पर अस्थायी अतिरिक्त पदों का सृजन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जे0टी0आर0आई0/14वां वि0आ0/लेखा-(2017-2018)/971, दिनांक 28-06-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ में न्यायिक सुधार हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संविदा पर अस्थायी अतिरिक्त पदों का सृजन विषयक शासनादेश संख्या-43/2017/सा0-780/सात-न्याय-1-17-1(प्र)/2017, दिनांक 09-06-2017 के प्रस्तर-6 में उल्लिखित लेखाशीर्षक-''2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-01-चौदहवे वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन-1003 न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण'' के स्थान पर लेखाशीर्षक-''2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-14-चौदहवे वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन-1405- न्यायिक अधिकारियों, मध्यस्थों एवं अधिवक्ताओं का प्रशिक्षण'' पढे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है।

2- उक्त शासनादेश संख्या-43/2017/सा0-780/सात-न्याय-1-17-1(प्र)/2017, दिनांक 09-06-2017 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत रहेगीं।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त शासनादेश संख्या- 43/2017/सा0-780/सात-न्याय-1-17-1(प्र)/2017, दिनांक 09-06-2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

ह0/- डा0 राजेश सिंह,
विशेष सचिव।

<u>संख्या-50/2017/सा0-856(I)/सात-न्याय-1-17-तददिनांक:</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12
4- न्याय अनुभाग-9 (बजट)
5- इण्टरनेट पर अपलोड/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

ह0/- श्रीनाथ राम ,
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in